अज अदालत उप जिला कलेक्टर मुकाम गंगापुर सिटी

बत्तीलाल बनाम काना वगैरा

किस्म मुकदमा दावा नं० 7 सन 2015

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनोशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	12.02.2015 यह दावा वादी बत्तीलाल पुत्र परसादी जाति माली निवासी नौगांव तहसील गंगापुर सिटी की ओर से श्री तरूण शर्मा, एडवोकेट ने हमारे समक्ष पेश किया। वादी के वकील को सुना गया। प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलवी जरिए नोटिस की जावे। पत्रावली दिनांक 26.3.2015 को पेश हो। [signature]	
	26-3-15 वकील वादी उप० है। प्रतिवादी नं० 1 ता 6 की ओर से श्री लालाराम सैनी Adv. ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी नं० 7 बावजूद सूचना उप० नहीं है। अतः प्रतिवादी नं. 7 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की जाती है। वास्ते जवाब दावा पत्रा० दि० 30-4-2015 को पेश हो। [signature]	
	30-4-15 वकील उभयपक्ष उपस्थित हैं। वकील प्रतिवादीगण जवाब को समय चाहते हैं। अतः वास्ते जवाब पत्रावली दि० 28-5-2015 को पेश हो। [signature]	बत्तीलाल
	26-5-2015 पत्रावली आज लोक अदालत में कैम्प नौगांव पर पेश हुई। वादी बत्तीलाल तथा प्रतिवादी काडू व खिलाडी उपस्थित हैं। प्रतिवादी नं० 7 की ओर से नायब तहसीलदार तलावड़ा ने जवाब दावा पेश किया। वादी एवं प्रतिवादीगण ने राजीनामा पेश किया। राजीनामे में यह अंकित किया गया है कि वादी गोदपुत्र हेतु सक्षम न्यायालय में दावा पेश करेगा इसलिए वादी को अपना दावा वापस लेने की अनुमति दी जावे।	का 'S नि० खिला[illegible] [thumb impression]

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनोशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रस्तुत वादपत्र का अवलोकन किया गया। पक्षकारों को सुना गया। मोदपुरा की घोषणा कराने हेतु सक्षम न्यायालय में दावा पेश करने की अनुमति दिए जाने में कोई कानूनी अड़चन नहीं है। अतः राजीनामे के अनुसार वादी को दावा वापस लेने की अनुमति दी जाती है। पर्चा डिक्री जारी किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (सतीश कुमार शर्मा) सदस्य लोक अदालत गंगापुर सिटी कैम्प नौगांव (मुनिदेव यादव) अध्यक्ष लोक अदालत गंगापुर सिटी एवं उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी, कैम्प नौगांव	

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखंड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) कैम्प नौगांव

पीठासीन अधिकारी–: मुनिदेव यादव, आर.ए.एस.

उनवान

बत्तीलाल पुत्र परसादी जाति माली निवासी नौगांव तहसील गंगापुर सिटी ––वादी

बनाम

1. काना पुत्र छीतर जाति माली निवासी नौगांव तहसील गंगापुर सिटी
2. काडू पुत्र छीतर जाति माली निवासी नौगांव तहसील गंगापुर सिटी
3. खिलाडी पुत्र अर्जुन जाति माली निवासी नौगांव तहसील गंगापुर सिटी
4. कैलाश पुत्र मिश्रया जाति माली निवासी नौगांव तहसील गंगापुर सिटी
5. अखयराम जाति माली निवासी नौगांव तहसील गंगापुर सिटी
6. शंकर पुत्र गंगाधर जाति माली निवासी नौगांव तहसील गंगापुर सिटी
7. लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील गंगापुर सिटी ––प्रतिवादीगण

दावा घोषणां खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. – 7/2015

वादी की ओर से वादी बत्तीलाल की व प्रतिवादी की ओर से प्रतिवादी काडू, खिलाडी की उपस्थिति में इस वाद मे आज तारीख 26.5.2015 को मुनिदेव यादव (पीठासीन अधिकारी) के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश दिया जाता है कि और डिकी दी जाती है कि

वादी एवं प्रतिवादी नं0 2, 3 के मध्य हुए राजीनामे के अनुसार वादी स्वयं को गोदपुत्र घोषित कराने हेतु सक्षम न्यायालय में दावा पेश करेगा एवं राजीनामे के अनुसार वादी को यह दावा वापिस लेने की अनुमति दी जाती है। राजीनामा निर्णय का हिस्सा रहेगा ।

खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 26.5.2015 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

मुनिदेव यादव
उपखंड अधिकारी
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1 वादपत्र के लिए स्टाम्प 2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3 प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4 ....रूपये पर प्लीडर की फीस 5 साक्षियो के लिए निर्वाह व्यय 6 कमिश्नर की फीस 7 आदेशिका की तामील		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियो के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड		जोड	

प्रपत्र-4

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, गंगापुर सिटी
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)
कैम्प कोर्ट का स्थान :- नौगांव

राजीनामा प्रपत्र

दिनांक 26/5/15

श्रीमान् पीठासीन अधिकारी महोदय,
गंगापुर सिटी

कन्हीलाल बनाम राज्य सरकार

प्रकरण संख्या 7/15 अन्तर्गत धारा 88, 188 R.T. Act

उपर्युक्त प्रकरण में प्रार्थी/वादी श्री .... निवेदन है, कि उक्त उनवान का प्रकरण आपके न्यायालय में लम्बित है। उक्त प्रकरण में हम पक्षकारों के बीच सुलह हो एवं अब हमारे बीच कोई विवाद नहीं रहा है। हम पक्षकारों के बीच सम्बन्ध अच्छे हो चुके हैं। हमारा आपसी राजीनामा निम्नानुसार तय हुआ है :-

[illegible]

अतः श्रीमान् से निवेदन है, कि हमारा राजीनामा तस्दीक कर मुकदमे का निस्तारण करने की कृपा करें।

पक्ष 1. कन्हीलाल
2. कन्हीलाल पुत्र [illegible]
3. [illegible] निवासी नौगांव
4. ....

प्रतिवादी पक्ष 1. .... [illegible]
2. .... नि० खिलाड़ी
3. ....
4. ....

सदस्य के हस्ताक्षर .... पहचानकर्ता के हस्ताक्षर ....
इन्चार्ज उपाध्यक्ष
पंचायत नौगांव
(प्रतिवादी पक्ष) नाम ....
गंगापुर सिटी (स०मा०)

प्रार्थी/वादी कन्हीलाल एवं अप्रार्थी/ प्रतिवादी .... द्वारा सम्मिलित रूप से राजीनामा पेश किया गया है। राजीनामें की इबारत को सुन व समझ कर सही होना किया गया। अतः राजीनामा हस्बख्वाहिश पक्षकार तस्दीक किया जाता है। राजीनामा शामिल मिसल रहे।

(सतीश कुमार शर्मा Ad.)

(ह० सदस्य) (ह० सदस्य) (ह० सदस्य) (ह० सदस्य) (ह० सदस्य)

सदस्य
लोक अदालत
गंगापुर सिटी
कैम्प नौगांव

(मुनिदेव यादव)
अध्यक्ष
पीठासीन अधिकारी
गंगापुर सिटी
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी कैम्प नौगांव